



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 357 राँची, मंगलवार,

20 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

-----

राज्यादेश

16 जून, 2021

संचिका संख्या-5/स०भू० धनबाद (DFCCIL)-48/2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-04.06.2021 में मद संख्या-26 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिलान्तर्गत अंचल-निरसा अन्तर्गत मौजा-एलाकेन्द, मौजा नं०-167, गत सर्वे खाता सं०-86, हाल खाता संख्या-261, गत प्लॉट सं०-146 (किस्म-पु०पतीत), हाल प्लॉट सं०-217 (बाईद), 218 (बाईद), 219 (पुरानी परती) एवं 220 (पुरानी परती), रकबा-1.00 एकड़ तथा गत सर्वे खाता सं०-86, गत हाल खाता सं०-261, गत सर्वे प्लॉट सं०-14 (किस्म-पु० पतीत), हाल प्लॉट नं०-19 (टोंगरी), रकबा-0.194 एकड़, कुल सन्निहित रकबा-1.194 एकड़ गैर आबाद खास खाते की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-1) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.14 की कंडिका-2(i) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित की गयी सलामी की राशि 12,18,119/-

(बारह लाख अठारह हजार एक सौ उन्नीस) रुपये, सलामी का 5 (पाँच) प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि 15,22,650/- (पन्द्रह लाख बाईस हजार छः सौ पचास) रुपये मात्र लगान का 145 प्रतिशत सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि 22,07,850/- (बाईस लाख सात हजार आठ सौ पचास) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 49,48,619/- (उनचास लाख अड़तालीस हजार छः सौ उन्नीस) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-ii) की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (DFCCIL) के विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजात से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही जंगल-झाड़ी भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई उपायुक्त, धनबाद सुनिश्चित करेंगे।
- iv. संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मेनुएल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।
- v. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- vi. इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी ।
- vii. राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।
- viii. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा । एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

ix. राजस्व विभागीय संकल्प जापांक-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, धनबाद यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। इकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

x. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अंजनी कुमार मिश्रा,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

**अनुलग्नक-1**

सं०सं०-5/सं०भू० धनबाद (DFCCIL)-48/2021-1963/रा० दिनांक-16.06.2021

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

| क्र०    | अभिलेख सं० | अंचल  | मौजा     | मौजा नं०/<br>थाना नं० | गत सर्वे खतियान के अनुसार |           |             |               | हाल सर्वे खतियान के अनुसार |           |            |               |
|---------|------------|-------|----------|-----------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|---------------|
|         |            |       |          |                       | खाता सं०                  | प्लॉट सं० | रकबा (एकड़) | भूमि का किस्म | खाता सं०                   | प्लॉट सं० | रकबा(एकड़) | भूमि का किस्म |
| 01      | 03/2020-21 | निरसा | एलाकेन्द | 167                   | 86                        | 14        | 1.60        | पुरातन पतीत   | 261                        | 19        | 0.194      | टोंगरी        |
|         |            |       |          |                       |                           | 146       | 1.75        | पुरातन पतीत   |                            | 217       | 0.32       | बाईद          |
|         |            |       |          |                       |                           |           |             |               |                            | 218       | 0.34       | बाईद          |
|         |            |       |          |                       |                           |           |             |               |                            | 219       | 0.11       | पुरानी परती   |
|         |            |       |          |                       |                           |           |             |               |                            | 220       | 0.23       | पुरानी परती   |
| सकल कुल |            |       |          |                       |                           |           |             |               |                            | 1.194     |            |               |

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

**अनुलग्नक-II**

सं०सं०-5/सं०भू० धनबाद (DFCCIL)-48/2021-1963/रा० दिनांक-16.06.2021

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :

| क्र० | अभिलेख सं० | मौजा     | रकबा (एकड़) | प्रति एकड़ मूल्य | सलामी की राशि | लगान सलामी का) 5%( का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य | सेस लगान का) 145% का (25 गुणा पूंजीकृत मूल्य | कुल राशि |
|------|------------|----------|-------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 02   | 03/2020-21 | एलाकेन्द | 1.194       | 1020200          | 1218119       | 1522650                                      | 2207850                                      | 4948619  |
| कुल  |            |          | 1.194       |                  | 1218119       | 1522650                                      | 2207850                                      | 4948619  |

अर्थात् कुल देय राशि 49,48,619/- (उनचास लाख अड़तालीस हजार छः सौ उन्नीस) रुपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

-----